

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव



शीर्षप्राथमिकता
अर्द्धशासकीय संख्या 4067/37-1-1-
उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन एवं मत्स्य विभाग।
लखनऊ: दिनांक 14 नवम्बर, 2013

प्रिय महोदय,

मैं आपके पास मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन द्वारा जारी (कार्मिक अनुभाग-4 शासनादेश संख्या 1-ई.एम./2013-का-4-2013 दिनांक 11.11.2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित कर रहा हूँ, जो कृषि संघों (महासंघ/परिसंघ/संघ) द्वारा दिनांक 12.11.2013 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की नोटिस दिये जाने के संबंध में है।

उपरोक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृषि शासनादेश में दिये गये निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

योगेश कुमार

भवदीय,

(योगेश कुमार)

डा० रुद्र प्रताप,
निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ० प्र० लखनऊ।

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।

संख्या- 475 / ST/JD(A)/2013

दिनांक 18/11/13

शासन के अर्द्धशासकीय पत्र 4067/37-1-2013, दिनांक 14.11.2013 एवं अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-2086/पी०एस०ए०एच०एफ०/2013, दिनांक 19.11.2013 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुधन विकास परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
2. समस्त अपर निदेशक (ग्रेड-2), पशुपालन विभाग, उ० प्र०।
3. संयुक्त निदेशक, चकगंजरिया लखनऊ/बाबूगढ़ गाजियाबाद/मंझरा खीरी।
4. संयुक्त निदेशक/परियोजना निदेशक, अदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रक्षेत्र इटावा।
5. परियोजना निदेशक, बृहद भेड़ प्रक्षेत्र/सूकर प्रजनन इकाई, भैंसोडा नौगढ़ चन्दौली/मिर्जापुर।
6. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ० प्र०।
7. उप निदेशक(प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
8. श्री नवीन गुप्ता (कम्प्यूटर सुपरवाइजर) मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त की सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुये समस्त मण्डलीय/जनपदीय व अन्य संबंधित अधिकारियों के ई-मेल पर सूचित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

जय शंकर दुबे
(जय शंकर दुबे)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव



शीर्षप्राथमिकता
अद्वंशा0प0सं0/067/37-1-
उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन एवं मत्स्य विभाग।
लखनऊ: दिनांक/14नवम्बर, 201

प्रिय महोदय,

मैं आपके पास मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी (कार्मिक अनुभाग-4 शासनादेश संख्या 1-ई.एम./2013-का-4-2013 दिनांक 11.11.2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित कर रहा हूँ, जो कतिपय सेवा संघों (महासंघ/परिसंघ/संघ) द्वारा दिनांक 12.11.2013 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की नोटिस दिये जाने के संबंध में है।

उपरोक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपय शासनादेश में दिये गये निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

योगेश कुमार

भवदीय,

योगेश कुमार

(योगेश कुमार)

डा0 रुद्र प्रताप,
निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

VSC(AH/F)

13-11-13

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2013

विषय:- कतिपय सेवा संघों (महासंघ/परिसंघ/संघ) द्वारा दिनांक 12.11.2013 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की नोटिस दिये जाने के संबंध में।


महोदय,

कतिपय सेवा संघों (महासंघ/परिसंघ/संघ) द्वारा दिनांक 12.11.2013 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की नोटिस दी गयी है। इस संबंध में निम्न नियमों/प्राविधानों/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है:-

- (i) उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 के नियम-4(ड) में यह प्राविधानित है कि सेवा संघ सामान्य और सुचारु रूप से सरकारी कार्य संचालन में बाधा डालने या अवरोध उत्पन्न करने की दृष्टि से अपने सदस्यों को हड़ताल करने या धीरे काम करने या कोई अन्य तरीका अपनाने के लिए न प्रेरित करेगा, न उकसायेगा, न उत्तेजित करेगा और न किसी प्रकार की सहायता/सहयोग देगा। धरना/प्रदर्शन/हड़ताल में सहभागिता की स्थिति में सम्बन्धित कर्मों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।
 - (ii) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम-5-ए(2) में यह प्राविधानित है कि कोई सरकारी सेवक अपने किसी सेवा संबंधी प्रकरण अथवा किसी अन्य के सेवा संबंधी प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की आन्दोलनात्मक कार्यवाही अथवा हड़ताल नहीं करेगा।
2. उपर्युक्त प्रस्तर में अंकित नियमों/प्राविधानों से अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/कर्मियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
 3. उपर्युक्त नियमों/प्राविधानों के बावजूद कर्मचारी संगठनों/कर्मियों के द्वारा हड़ताल, कार्य बहिष्कार, सरकारी कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाये।
 - (i) धरना/प्रदर्शन, हड़ताल में भाग लेने वाले कार्मिकों को 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत के आधार पर हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान न किया जाय।

- (ii) आन्दोलन आदि के उद्देश्य से अवकाश मांगने वाले कर्मियों का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।
- (iii) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा अनुपस्थिति अवधि को 'सेवा में व्यवधान' माना जाय। राज्य कर्मियों कार्यालय में उपस्थित रहे, इसके लिये सुनिश्चित किया जाये कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्वान्ह, अपरान्ह तथा कार्यालय अवधि समाप्त होने के 10 मिनट पूर्व उपस्थिति पंजिका मंगाकर इस तथ्य की जाँच की जाये कि ऐसे कर्मियों जो पूर्वान्ह में उपस्थित हुये वे कार्यालय अवधि तक अवश्य कार्य करें। कार्य का बहिष्कार कर रहे कर्मियों का चिन्हांकन करते हुये विधि विरुद्ध कार्यवाही की जाये।
- (iv) धरना/प्रदर्शन/जुलूस/रैली/हड़ताल आदि में सम्मिलित होने वाले कर्मियों, जिनसे शांति-व्यवस्था भंग होती है, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए, कार्यवाही की जाय।
- (v) सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को हानि पहुंचाने, तोड़-फोड़ करने तथा हिंसा में लिप्त होने वाले कर्मियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- (vi) कार्यालय आने वाले कर्मियों को संरक्षण प्रदान किया जाय तथा व्यवधान डालने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
4. हड़ताल/कार्य बहिष्कार के दौरान अपने विभाग से सम्बन्धित अत्यावश्यक सुविधायें बनाये रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यह भी उपयुक्त होगा कि अपने स्तर से तथा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करते हुये उन्हें हड़ताल/कार्य बहिष्कार में भाग न लेने के लिये प्रेरित किया जाये तथा राज्य सरकार द्वारा पिछले डेढ़ वर्षों में राज्य कर्मचारियों के हितार्थ जो कार्य किये गये हैं (जो इस पत्र के साथ संलग्न हैं), उनकी जानकारी दी जाये।
5. संक्षेप में मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण अपनी नेतृत्व क्षमता का इस दौरान प्रदर्शन करें तथा कर्मचारियों को इस बात के लिये प्रेरित करें कि वे प्रदेश के विकास में सहयोगी/सहायक बने। ऐसे कर्मियों जो कानून-तोड़ते हैं उनके विरुद्ध कानून के अनुसार विधिक कार्यवाही करने में न हिचका जाये।
- संलग्नक : यथोक्त


भवदीय,


(जवेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या-1-ई.एम./2013-का-4-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

15 मार्च, 2012 के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के हितार्थ लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय एवं अग्रेतर कार्यवाहियों जो की जा रही है।

- (1) स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश दिनांक 18.4.2013 में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण, संगठन में पद धारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाने के प्राविधान हैं।
- (2) समस्त राज्य कर्मचारियों (सेवानिवृत्त को सम्मिलित करते हुए) को परिचय पत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 25.7.2013 को शासनादेश निर्गत किया गया है।
- (3) राज्याधीन लोक सेवाओं औरपदों पर आवेदन करने हेतु राज्य कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने हेतु दिनांक 27.8.2013 को शासनादेश निर्गत किया गया है। उक्त व्यवस्था से सामान्य श्रेणी के राज्य कर्मचारी 45 वर्ष की आयु तक राज्याधीन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- (4) दिनांक 15 मार्च, 2012 के पूर्व से अवरूद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया, जिससे विभिन्न विभागों में अत्यधिक कर्मियों को पदोन्नति का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है।
- (5) प्रदेश सरकार पदोन्नति की दिशा में आने वाली वाजिब कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सतत प्रयासरत है, जिससे कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा रहे। विभिन्न संवर्गों, विशेष रूप से लिपिकीय संवर्गों की पदोन्नतियां, अर्हकारी सेवा पूर्ण न होने के कारण अथवा परिवीक्षा अवधि पूर्ण न होने के कारण बहुधा बाधित रहती हैं, ऐसे अवरोधों को दूर करने पर सक्रियता से विचार करते हुए, कार्मिक विभाग द्वारा अधिभावी प्रभाव रखनेवाली नियमावली का प्रख्यापन किया जाना प्रस्तावित है।
- (6) राज्य कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के भत्ते, जिनमें पिछले कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गयी थी, में वृद्धि करते हुए, उन्हें दोगुना कर दिया गया है।
- (7) विभिन्नपदों पर परिवीक्षा अवधि की अनिवार्यता समाप्त करने पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।
- (8) मृतक आश्रितों को समूह 'ग' के पद पर नियुक्ति प्रदान करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमावली में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।
- (9) राज्य कर्मचारियों को विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभ बिना विलम्ब के प्राप्त हों, इसके लिए अधिभावी प्रभाव रखनेवाली सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।
- (10) राज्य सरकार अपने कार्मिकों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है, इस संबंध में संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं।
- (11) विभिन्न अभियन्त्रण विभागों जैसे-लोकनिर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग आदि में अवर अभियन्ताओं के पदों पर नियमित रूप से भर्ती होती रहे, इसके लिए प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
- (12) राजस्व विभाग द्वारा सामयिक संग्रह अमीनों एवं सामयिक संग्रह अनुसेवकों के समायोजन के संबंध में सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

- (13) पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्रामस्तरीय सफाई कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इससे इन कर्मचारियों को सेवा से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
- (14) लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा अन्य अभिन्न विभागों में अवर अभियन्ताओं की समय से पदोन्नति सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग तथा संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।
- (15) उपर्युक्त के अतिरिक्त अनेक सेवा संबंधी लाभ प्रदान किये जाने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।